न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 100/2018

बदरू पुत्र सुभान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

भूपाल सिंह पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

ऐडवोकेट वादी— श्री सुरेश कुमार सीगड
ऐडवोकेट प्रति0— — एक पक्षीय

निर्णय

दिनांक 22.04.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमीन ख.न. 864/1.54, 1420/864/0.31 किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है काश्त करता है काबिज है तथा उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के करता आ रहा है इस जमीन में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी वादी की उक्त्ता जमीन का पडौसी है जो बदमाश प्रवृति का झगडालू व्यक्ति है परिवार में काफी संख्या में व्यक्ति हैं जबकि वादी गरीब काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है जो शांति से रहने वाला है तथा कानून को मानने वाला है जबकि प्रतिवादी कानून की परवाह नही करता है व लठ के बल पर वादी के हक हकूक तथा राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त की दावे में वर्णित जमीन पर कानून हाथ में लेकर तथा बाहुबल के आधार पर कब्जा नाजायज करने की चेष्टा में है जिसको इस तरह का कोई कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से अधिकार प्राप्त नही है, परन्तु कानून को हाथ में लेकर लठ के बल पर वादी के कब्जे काश्त हक हकूक की जमीन ख.न. 1420/864 पर एवं ख.न. 864 जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है जिसे रोका जाना निहायत आवश्यक है, अन्यथा वादी के हक हकूक कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड की जमीन जो दावे में वर्णित है पर प्रतिवादी लठ के बल पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लेगा जिससे वादी के साथ अन्याय होगी वादी अपने प्राप्त कानूनी अधिकारो से वंचित हो जायेगा वादी को मुकदमे बाजी फंसना पडेगा, वादी अपनी जमीन काश्त नही कर पायेगा इसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये यह दावा अपने प्राप्त कानूनी अधिकारों के तहत पेश किया जा रहा है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी को रिलिफ नही दी जायेगी तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी दिनांक 28.06. 2018 को अपने खेत में काश्त करने लगा तो प्रतिवादी ने वादी को काश्त नही करने देने की धमकी दी मौजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। इसलिये वादी काश्तकारी कानून के तहत अपने ... के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के लिये अधिकृत है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन ... दावा डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी ... हक हकूक और खातेदारी की. कृषि भूमि जो दावे में वर्णित की गई है को वादी को काश्त करने ... काबिज ... उपयोग उपभोग करने में प्रतिवादी किसी तरह की बाधा पैदा नही करे न अपने किसी ... से करावे।

... प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी बावजूद तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई ... । अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ... जमाबंदी ग्राम बुगाला संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 864/1.54, 1420/864/0.31 किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 की खातेदारी बदरू पिता सुभान कौम कसाई मुसलमान सा. जाखल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही होने से वादी के हक हकूक व कब्जे काश्त व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की नियम विरूद्ध किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने का अधिकार नही है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि ख.न. 864/1.54, 1420/864/0.31 किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें तथा न ही अपने किसी अन्य आदमी से करावें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 100/2018 (बदरू बनाम जगमालसिंह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.04.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि ख.न. 864/1.54, 920/864/0.31 किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा न ही अपने किसी अन्य आदमी से करावें।

मुजिब............–..................... मुवलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद शरह.......–..................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 22 माह 04 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मोहर
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner